



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-31072026-275007
CG-TL-E-31072026-275007

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3992]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2026/श्रावण 5, 1948

No. 3992]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2026/SHRAVAN 5, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)
अधिसूचना

सिकंदराबाद, 23 जुलाई, 2026

का.आ. 4162(अ).— जबकि, भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा अधिसूचना संख्या S.O.160(अ), दिनांक 10.01.2026, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii) में दिनांक 10.01.2026 को प्रकाशित की गई (जिसे आगे 'उक्त प्रारंभिक अधिसूचना' कहा गया है) तथा जो रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20A की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई है, जिसके द्वारा केंद्रीय सरकार ने तेलंगाना राज्य के मेडचल - मलकाजगिरि ज़िले के मेडचल मंडल के कांडलाकोया ग्राम में मेडचल - गुंडलापोचमपल्ली स्टेशनों के मध्य कि.मी. 599/1-4 पर स्थित समपार संख्या 246ए के स्थान पर सड़क उपरि पुल के निर्माण के लिए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के अधिग्रहण के अपने आशय की घोषणा की है।

और जबकि, उक्त अधिसूचना का एक अंश इस अधिनियम की धारा 20A की उप-धारा (1) के अंतर्गत मुख्य इंजीनियर, निर्माण, रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट्स, दक्षिण मध्य रेलवे की स्वीकृति से दिनांक 14.01.2026 को दैनिक समाचार पत्र 'एबीएन आंध्र ज्योति', 'नमस्ते तेलंगाना' तथा 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित किया गया।

और जबकि, सक्षम प्राधिकारी, भूमि अधिग्रहण, कीसरा प्रभाग को भूमि स्वामियों/हितवद्ध व्यक्तियों से इस अधिनियम की धारा 20D के अंतर्गत आपत्तियाँ प्राप्त हुईं तथा व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित करने एवं आवश्यक जाँच करने के उपरांत, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20D की उप-धारा (2) के अंतर्गत उक्त आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया

गया। और जबकि, इस अधिनियम की धारा 20E की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः, सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा उक्त अधिनियम की धारा 20E की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 20E की उप-धारा (2) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार एतद्वारा यह भी घोषित करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने पर, इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी बाधाओं से मुक्त होकर पूर्णतः केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमियों का विवरण: यात्री तथा माल यातायात सुविधा हेतु तेलंगाना राज्य के मेडचल –मलकाजगिरि जिले के मेडचल मंडल के कांडलाकोया ग्राम में मेडचल – गुंडलापोचमपल्ली स्टेशनों के मध्य कि.मी. 599/1-4 पर समपार संख्या 246A के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल के निर्माण संबंधी रेलवे परियोजना के अंतर्गत संरचनाओं सहित अथवा बिना संरचनाओं के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

गाँव : कांडलाकोया			मंडल: मेडचल			जिला: मेडचल – मलकाजगिरि		
क्रम सं.	सर्वे संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	उप-विभाजन के अनुसार प्रभावित	भोगधारक का नाम	क्षेत्रफल	वृक्ष	संरचनाएँ/ बोरवेल
1	196	पट्टा	असिंचित	0.02	श्रीहरि राजू	63 वर्ग मीटर (75.3474 वर्ग गज)	नहीं है	चहारदीवारी
2					भगवती ग्रीन मीडोज़ तथा एनेक्स	139 वर्ग मीटर (166.243 वर्ग गज)	नहीं है	चहारदीवारी (लेआउट)
3	199	पट्टा	असिंचित	0.08	सह देव	159.12 वर्ग मीटर (190.305936 वर्ग गज)	4 आम के वृक्ष	चहारदीवारी
4					हरि बाबू	399.12 वर्ग मीटर (477.34 वर्ग गज)	नहीं है	चहारदीवारी
5					डी. एस. प्रेमलता	251.12 वर्ग मीटर (300.33 वर्ग गज)	नहीं है	चहारदीवारी
6	209	पट्टा	असिंचित	0.09	चिरमुला दीप्ति	910.53 वर्ग मीटर (1088.98482 वर्ग गज)	नहीं है	ब्लू शीट्स
7	210	पट्टा	असिंचित	0.17	वीएम साइंसेज़ (विनोद कुमार)	1319.89 वर्ग मीटर (1578.575302 वर्ग गज)	6 नीम के वृक्ष	चहारदीवारी तथा चौकीदार कक्ष /1 बोरवेल
8					वीएम साइंसेज़ (विनोद कुमार)	279 वर्ग मीटर (333.681 वर्ग गज)	4 नीम के वृक्ष	चहारदीवारी तथा गेट /1 बोरवेल
9					पेन्ना सीमेंट	121 वर्ग मीटर	नहीं है	चहारदीवारी

						(144.715 वर्ग गज)		
10	211	पट्टा	असिंचित	0.04	पेन्ना सीमेंट	271.78 वर्ग मीटर (325.04 वर्ग गज)	नहीं है	चहारदीवारी तथा दो गेट
11					शैलजा	132.89 वर्ग मीटर (158.93 वर्ग गज)	नहीं है	भूतल गोदाम सहित चहारदीवारी
Total Extent				1 एकड़ 00 गुंटे		4047 वर्ग मीटर (4840 वर्ग गज)		

[फा. सं. RSP/Gazette/20E/LC.No.246A/SC-MUE/HYB]

मनोज कुमार, सीई / सी / आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 23rd July, 2026

S.O. 4162(E).— Whereas by the notification by Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) Number S O No 160 (E) Dated: 10.01.2026 published in the Gazette of India Extraordinary PART –II Section -3 Sub- section (ii) dt: 10.01.2026 (herein Preliminary Notification) issued U/s sub section (1) of Section 20(A) of Railways Act 1989(24 of 1989) the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing (LC) No.246A at Km.599/1-4 between Medchal-Gundlapochampally stations” in Kandlakoya Village of Medchal Mandal of Medchal- Malkajgiri District in the state of Telangana.

And whereas an extract of this notification was published in ABN Andhra Jyothi, Namaste Telangana Daily and The Times of India newspapers on 14.01.2026 with the approval of Chief Engineer, Construction, Road Safety Projects, South Central Railway under sub section (1) section 20A of the Act.

And whereas Competent Authority for Land Acquisition Keesara Division received objections from Land Owners/Interested Persons U/s 20D and after conducting personal hearing and making further enquiry disallowed the objections under Sub section (2) of Section 20D of Railways Act 1989.

Now therefore, in the light of the above, the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub section (1) of the section 20(E) of the said act, the Central Government may declare that the land mentioned in the schedule annexed hereunder for the purpose mentioned above.

Further in pursuance of sub-section (2) of section 20E of this act the central Government may declare on publication of Notification in the official Gazette that the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government is free from all encumbrances.

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition: Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing (LC) No.246A at km.599/1 - 4 between Medchal-Gundlapochampally stations” in Kandlakoya Village of Medchal Mandal of Medchal - Malkajgiri District in the state of Telangana jurisdiction for passenger and freight facility. Brief description of land to be acquired with or without structures in a particular railway project.

Village: Kandlakoya			Mandal: Medchal			District: Medchal-Malkajgiri		
Sl. No	Sy. No.	Type of Land	Nature of Land	Extent affected as per sub Division	Name of enjoyer	Extent	Trees	Structures/ Borewell
1	196	Patta	Dry	0.02	Srihari Raju	63 Sq Mtrs (75.3474 Sq.Yards)	No	Compound wall
2					Bhagavati Green meadows and Annexe	139 Sq Mtrs (166.243 SqYards)	No	Compound wall (Lay out)
3	199	Patta	Dry	0.08	Saha Dev	159.12 Sq Mtrs (190.305936 Sq Yards)	4 Mango trees	Compound wall
4					Hari Babu	399.12 Sq Mtrs (477.34 Sq Yards)	No	Compound wall
5					DS Premlatha	251.12 Sq Mtrs (300.33 Sq Yards)	No	Compound wall
6	209	Patta	Dry	0.09	Chirumula Deepthi	910.53 Sq Mtrs (1088.98482 Sq Yards)	No	Blue Sheets
7	210	Patta	Dry	0.17	Vm Sciences (Vinod Kumar)	1319.89 Sq Mtrs (1578.575302 Sq yards)	6 Neem trees	Compound wall and watchmen room/1 borewell
8					Vm Sciences (Vinod Kumar)	279 Sq Mtrs (333.681 Sq Yards)	4 Neem trees	Compound wall and Wall Gate/1 borewell
9					Penna Cement	121 Sq Mtrs (144.715 Sq Yards)	No	Compound wall
10	211	Patta	Dry	0.04	Penna Cement	271.78 Sq Mtrs (325.04 Sq Yards)	No	Compound wall and two gates
11					Sailaja	132.89 Sq Mtrs (158.93 Sq Yards)	No	On Ground Gowdown with Compound Wall
Total Extent				Ac:1-00gts		4047 Sq.Mtrs or 4840 Sq Yards		

[F. No. RSP/Gazette/20E/LC.No.246A/SC-MUE/HYB]

MANOJ KUMAR, CE/C/RSP